है। मुख्य मंत्री जम्मू-कश्मीर ने कहा है कई दफा कि पिछले वर्षों में 50,000 से ज्यादा जम्मू-कश्मीर के लोग मारे गए हैं। जम्मू-कश्मीर जिसकी संख्या करोड़ों में नहीं है। लाखों में है तो लाखों की आबादी वाली स्टेट के लिए 50,000 मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ी संख्या है मैं माननीय प्रधान मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि वे इसमें ज्यादा रुचि लेकर, मैं यह नहीं कहता कि रुचि नहीं है लेकिन जब हम युनाइटेड नेशन्स में बात करते हैं या जेनेवा में बात करते हैं तो बड़ी सप्लीमेंटरी बात होती है क्योंकि हम किसी दूसरे परपज़ के लिए जाते है तो चलो वहां प्रधान मंत्री पाकिस्तान का और हिंदुस्तान का प्रधान मंत्री यह भी बात करेगा चाय पर या किसी और मौके पर। कभी इस चीज़ को गंभीरता से लेकर कि यह जो फायरिंग चल रही है, जो आतंकवाद पाकिस्तान की तरफ से यहां फैलाया जा रहा है, जो घुसपैठिए यहां आ रहे हैं, उसके बारे में प्रधान मंत्री कब पाकिस्तान के प्रधान मंत्री से बात करेंगे कि इसको रोका जाए जब तक कि पूर्ण तरीके से कोई हल न निकले?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: सभापति जी, पाकिस्तान से जब भी बात होती है और जैसा मैंने पहले कहा था कि वार्ता के तीन दौर हो चुके हैं, उसमें आतंकवाद की समस्या और सीमा रेखा पर निरंतर गोलीबारी का प्रश्न बड़े बलपूर्वक ढंग से उठाया जाता है। इस बारे में हमें यह मानकर चलना चाहिए कि पाकिस्तान और भारत के संबंध जिस स्थिति में है, उसमें यह अंतर्विरोध, संबधों में अंतर्विरोध, यह अंतर्विरोध है कि एक ओर हम वार्ता कर रहे हैं और दूसरी ओर गोलीबारी हो रही है लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हम वार्ता बंद कर दें मगर गोलीबारी बंद होनी चाहिए। गोलीबारी का उत्तर भी दिया जाता है और हम जब कभी मिलते हैं और सेनापतियों के स्तर पर भी चर्चा करने का मौका मिलता है तो इनसे कहा जाता है कि आप लोग आपस में बैठकर तय करिए। कभी सफलता मिलती है, कभी सफलता हाथ नहीं लगती। लद्दाख के लोग बड़ी मुसीबत में हैं, मूझे मालूम है। मैं दो दिन बाद लद्दाख जाने का विचार कर रहा हूं। वहां के लोगों की पीड़ा से हम लोग अवगत हैं लेकिन जो संबंधों का अंतर्विरोध है, वह अपने को उजागर करता है और उसके द्वारा वार्ता के रास्ते को खुला रखकर हम प्रयास करें कि पाकिस्तान हिंसा, आतंकवाद और गोलीबारी के पथ को छोड़ दे और मुझे विश्वास है कि पाकिस्तान को आज नहीं तो कल ऐसा करना पड़ेगा।

Losses due to unseasonal rains

*62. SARDAR GURCHARAN SINGH TOHRA:
SHRI SUKHDEV SINGH LIBRA:†

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that paddy and cotton growers of Punjab have suffered heavy losses due to the recent unseasonal rains;

(b) whether Government have made any assessment to know the extent of loss;

(c) if so, the details thereof; and

(d) the relief provided by Government to farmers, so far?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SOMPAL): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (d) The Government of Punjab has submitted a Memorandum seeking assistance of Rs. 1043.19 crore from the National Fund for Calamity Relief (NFCR) in the wake of damage, including damage to paddy, cotton and other crops, due to untimely rains and strong winds. The Memorandum is under examination in accordance with the established procedure for assistance from the NFCR. A Central Team will be deputed to assess the losses etc. in case the calamity is found prima-facie to be of rare severity.

It may, however, be mentioned that the State Government is required to undertake necessary relief and rehabilitation measures in the wake of natural calamities from the allocation under the Calamity Relief Fund (CRF), to which the Central and State Governments contribute in the ratio of 3:1. Out of the allocation of Rs. 60.05 crore to Punjab under CRF for 1998-99,

† The question was actually asked on the floor of the House by Shri Sukhdev Singh Libra.

three quarterly instalments of Central share amounting to Rs. 33.78 crore have already been released. The balance amount of Rs. 11.26 crore is due for release on 1.1.1999.

श्री सुखदेव सिंह लिब्रा: चेयरमैन साहब, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उनके जवाब में यह जिक्र आया है कि सैंट्रल टीम पंजाब में भेजी जाएगी, तो मैं जानना चाहता हूं कि इसमें देरी की वजह क्या है और यह टीम वहां कब तक भेज दी जाएगी ताकि किसानों को कुछ राहत मिल सके?

श्री सोम पाल: सभापति महोदय, इस तरह की प्राकृतिक आपदा के समय यदि राज्य सरकार—जो राष्ट्रीय आपदा कोष है, उसके अंतर्गत आबंटित की गई राशि से और अपने संसाधनों से उसको नहीं निपटा पाती तो राज्य सरकार को एक स्मरण पत्र केन्द्र सरकार को भेजना होता है और उसके उपरांत ही यहां से टीम भेजी जाती है और वह भी अंतर्मंत्रालयी टीम । पंजाब सरकार का यह मैमोरेंडम हमें 23 नवम्बर 1998 को प्राप्त हुआ है और उसके बाद यह टीम गठित कर दी गयी है। पंजाब सरकार से उनकी सुविधा के अनुसार इसकी तिथियां निर्धारित करने की बात चल रही है। जैसे ही पंजाब सरकार अपनी सुविधा इंगित करेगी, यह टीम वहां भेज दी जाएगी।

सरदार बलविन्दर सिंह भुंडर: चेयरमैन साहब, मैं माननीय मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूं कि उन्होंने जो राशि रिलीज़ की है, यह बहुत कम है जबकि पंजाब में जो कॉटन का लॉस हुआ है—वह तो टोटली फेल हो गयी है—वहां इसका 5-6 हजार करोड़ रुपये का लॉस हुआ है। पैडी का लॉस भी 5-6 सौ करोड़ रुपये का है। इसलिए यह राशि बहुत कम है। तो क्या उसके मुताबिक आप इस राशि को और बढ़ाने की कृपा करेंगे?

श्री सोमपाल: सभापति महोदय, पंजाब सरकार ने कुल मिलाकर 1043.19 करोड़ रुपये की राशि की मांग की है जिसमें फसलों का नुकसान उनके अनुमान के अनुसार 782.58 करोड़, खाद्य एवं अन्य मदों का नुकसान 62.14 करोड़, सिंचाई की-जो वहां नहरों की या अन्य क्षति हुई है उसका 62.06 करोड़, सड़कों की जो क्षति हुई है उसका 125.91 करोड़ और जो माल विभाग है, रैवेन्यू डिपार्टमेन्ट है, उसने भी 10.5 करोड़ रुपये की क्षति का अनुमान बताया है। इस प्रकार कुल मिलाकर 1043.19 करोड़ रुपये की राशि की मांग की गयी है जिसके संबंध में मैंने कहा है कि उनका मैमोरेंडम 23 नवम्बर को आया है और जो टीम जाएगी, वह आकलन करेगी, उसके बाद ही तय किया जाएगा कि कितनी राशि उनको दी जाएगी।

MR. CHAIRMAN: Now that question is over.

श्री बलविन्दर सिंह भुंडर: सर, यह सवाल बहुत महत्व का है, यह स्टेट की इकॉनमि से ताल्लुक रखता है। मैं सीधा सवाल करूंगा। आप कृपया मुझे इजाजत दें। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि जो पंजाब का फार्मर है—वैसे तो सारे देश में यही दशा है लेकिन पंजाब का फार्मर 3-4 क्रॉप के संबंध में बिल्कुल खत्म हो गया है। कॉटन चौथी बार फेल हो गयी है, पैडी का भी बहुत नुकसान हुआ है, पोटेटो का भी नुकसान हुआ है। इसलिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो टीम वहां अभी जाएगी, उसमें बहुत देरी हो जाएगी क्योंकि जो रबी क्रॉप है, उसको बोने के लिए उसके पास पैसा नहीं है। मैं इतना कहना चाहता हूं कि जो रिलीफ आप दे रहे हैं, एक तो वह ज्यादा तादात में दिया जाए तथा जल्दी दिया जाए नहीं तो यह लेट हो जाएगा।

श्री सोमपाल: सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य की चिंता से सहमत हूं और हम इस बात से अवगत भी हैं कि पंजाब के किसानों का, और इस बार उत्तर के इन दोनों-तीनों राज्यों को असामयिक वर्षा के कारण काफी हानि उठानी पड़ी है। जहां तक इसमें जल्दी करने का प्रश्न है, दसवें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार इसकी प्रविधि निर्धारित की गयी है, प्रक्रिया निर्धारित की गयी है कि राज्य सरकार की ओर से स्मरण पत्र आता है, फिर टीम भेजी जाती है और उसमें भी कुछ मानक तय किए गये हैं, निश्चित किए गये हैं। उसके अनुसार उस क्षति का आकलन होता है और आकलन के उपरांत एक नेशनल कैलामिटी रिलीफ कमेटी है जो राष्ट्रीय विकास परिषद की एक उप समिति है, उसके समक्ष यह आकलन प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रकार वह निर्णय उस समिति के द्वारा लिया जाता है। केन्द्र सरकार इस संबंध में निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। उस समिति के गठन में भारत के कृषि मंत्री उसके अध्यक्ष होते हैं। योजना आयोग के उपाध्यक्ष उसके सदस्य होते हैं और राज्यों में पांच राज्यों के मुख्य मंत्री उसके सदस्य होते हैं। इसके अतिरिक्त दो अन्य केन्द्रीय मंत्री होते है। वह समिति इसका निर्णय करती है। जैसे ही यह टीम वहां से आ जाएगी, उस समय एन० सी० आर० सी० के समक्ष इसे प्रस्तुत किया जाएगा।

MR. CHAIRMAN; Now, I have got the names of a number of persons who want to put supplementaries on this. This question is related only to Punjab. Many names have been given to me. Is the hon. Minister prepared to answer all the questions?

श्री सोमपाल: सर, यह प्रश्न पंजाब से संबंधित है। अगर सदस्य दूसरे राज्यों के संबंध में सूचना चाहते हैं तो उसके लिए अलग से नोटिस की आवश्यकता होगी।

DR. ALLADI P. RAJKUMAR: Sir, kindly allow a half-an-hour discussion. In Andhra Pradesh also, because of cyclone, there are problems.

MR. CHAIRMAN: We can have a half-an-hour discussion on the whole issue. That will be better. *(Interruptions).* We can have even a one-hour or two-hour discussion.*(Interruptions).*

श्री सोमपाल: ठीक है।

SHRI S.B. CHAVAN: Sir, I have something which is arising out of the reply. There is some point on which I would like to have a clarification.

MR. CHAIRMAN: On Punjab?

SHRI S.B. CHAVAN: Yes.

MR. CHAIRMAN: If you want to put a supplementary on Punjab, it is all right.

श्री जितेन्द्र प्रसाद: सर, डिसकसन तो होगा?

श्री सभापति: डिसकसन होगा, उसके लिए नोटिस देना होगा।

SHRI S. B. CHAVAN: The hon. Minister was pleased to state that the entire thing depends upon the recommendations of the Finance Commission. There are certain areas—even in Punjab—where it is severe. If it is a usual sort of thing, you are perfectly right that the Finance Commission has given recommendations and on that basis, State Governments are given assistance. But where the severity is very much, there—ever the Finance Commission has recommended this—you have to depart from the usual procedure and try to help them out. There are certain areas where there have been unprecedented rains and the entire kharif and rabi crops have been destroyed. In the circumstances, special attention will have to be paid. When I am mentioning Punjab, I would also like to mention that in Maharashtra State also, severity was very much there. That is why I am putting this supplementary. You will have to depart from the recommendations of the Finance Commission and try to accommodate all those States where the severity was more.

SHRI SOMPAL: Mr. Chairman, Sir, the recommendations of the Tenth Finance Commission are in two groups. One relates to the setting up of a Calamity Relief Fund with an initial corpus of Rs. 6304 crores to be utilised over five years from 1st April, 1995 to 2000. And under that arrangement automatically, four instalments are released to the States and since then, it has been made the responsibility of the States to meet such calamities. But, hon. Member, Mr. Chairman, is right when he says that sometimes there is a calamity of extraordinary severity. In such a situation,—the words used have been 'rare severity'—the allocation is made from the National Fund for Calamity Relief which is administered by the NCRC which is a Sub-Committee of the national Development Council. Both the sets of recommendations have been accepted by the national Development Council—that is, all the Chief Ministers of India. In that fund, initially, only Rs. 700 crores had been put to be utilised over five years and Rs. 120 crores were put during 1997-98 and Rs. 125 crores, this year. But almost all the funds have been exhausted and we have demanded that Rs. 854 crores more should be made available so that the additional demands which have come from the States and which are under assessment or have been assessed could be met.

MR. CHAIRMAN: Because of the interest of a large number of Members, we will have a separate discussion, maybe a short-duration discussion, on this.

Question No. 63